

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

परियोजना समिति की 167 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

परियोजना समिति की 167 वीं बैठक प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 02.03.2022 को प्रातः 11.00 बजे बोर्ड कक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर में आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे:-

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | श्री कुंजी लाल मीणा
प्रमुख शासन सचिव,
नगरीय विकास विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर। | अध्यक्ष |
| 2. | श्री पवन अरोड़ा,
आवासन आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। | सदस्य |
| 3. | श्री सुभाष शर्मा
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
प्रतिनिधि-मुख्य नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर। | सदस्य |
| 4. | श्री के. सी. मीना,
मुख्य अभियन्ता-प्रथम व मुख्यालय
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। | सदस्य |
| 5. | श्री जी.एस. बाघेला,
मुख्य अभियन्ता-द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। | सदस्य |
| 6. | श्री नत्थू राम
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। | सदस्य |
| 7. | श्री विजय अग्रवाल
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। | सदस्य |
| 8. | श्री संजय पूनिया
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। | सदस्य |



9. श्री सन्त सरन,
वरिष्ठ नगर नियोजक,
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

10. श्री अनिल माथुर,
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

सदस्य-सचिव

सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही सभी उपस्थित सदस्यों व अन्य अधिकारियों का स्वागत करते हुये प्रारम्भ की गयी। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार बिन्दुवार निर्णय लिये गये:-

एजेण्डा नं 1.	परियोजना समिति की 166वीं बैठक दिनांक 30.11.2021 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के संबंध में।
निर्णय	समिति द्वारा परियोजना समिति की 166वीं बैठक दिनांक 30.11.2021 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।
एजेण्डा नं 2.	परियोजना समिति की 166वीं बैठक दिनांक 30.11.2021 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।
निर्णय	समिति द्वारा परियोजना समिति की 166वीं बैठक दिनांक 30.11.2021 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति का अदलोकन किया गया।
एजेण्डा नं 3	सेक्टर-17, प्रताप नगर योजना, जयपुर में All India Services Residency, Phase-II के बाह्य स्त्रोतन से वास्तुविदकीय सलाहकार द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुमोदन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 4	सेक्टर-19, प्रताप नगर योजना, जयपुर में State Services Officer Residency के बाह्य स्त्रोतन से वास्तुविदकीय सलाहकार द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुमोदन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 5	सेक्टर-8, हल्दी घाटी मार्ग, प्रताप नगर आवासीय योजना, जयपुर में बहुमंजिले 270 Studio Apartment (S+11) योजना Phase-I एवं 12 व्यावसायिक भूखण्ड के बाह्य स्त्रोतन से नियोजित संशोधित मानचित्र अनुमोदन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 6	मानसरोवर योजना जयपुर के सेक्टर-4 (S.F.S.) में Ecological हेतु आरक्षित उपलब्ध भूमि में FARM HOUSE नियोजन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया तथा प्रकरण में संचालक मण्डल की 248वीं बैठक दिनांक 07.05.2021 के बिन्दु संख्या-248.10 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में मुख्य नगर नियोजक द्वारा जयपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2011 एवं 2025 में प्रस्तावित भू-उपयोग के संबंध में किये गये तकनीकी परीक्षण की रिपोर्ट एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित जनहित याचिका संख्या 1554/2004 (गुलाब कोठारी बनाम राज्य) एवं 9497/2007 (पी.एन. मेन्थोला बनाम राज्य) में दिये गये निर्देशों के परिपेक्ष्य में अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा किये गये विधिक परीक्षण की प्रति सहित अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

31/12

एजेण्डा नं 7	सेक्टर-3, प्रताप नगर योजना, जयपुर जोन-36 में टॉक रोड पर स्थित खातेदार से खाली करायी गयी भूमि पर व्यावसायिक नियोजन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया तथा निर्णय लिया गया कि L.N.C. की अभिशंषा अनुसार खातेदारों को भूखण्ड व क्षेत्रफल आवंटित किया जायेगा।
एजेण्डा नं 8	सेक्टर-23, प्रताप नगर योजना, जयपुर के योजना मानचित्र में संशोधन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 9	भिवाडी की अरावली विहार योजना फेज तृतीय, सेक्टर-11 में मण्डल कामिकों हेतु निर्माणाधीन मध्यम आय वर्ग 'ब' के आवासों के मौके के अनुसार मानचित्र में संशोधन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 10	खोडा गणेश रोड, फेज-चतुर्थ, आवासीय योजना, किशनगढ़ (अजमेर) में मौके पर भूमि की उपलब्धता के अनुसार निर्मित आवासों की संख्या में संशोधन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 11	नवाडेरा-उदयपुरा, आवासीय योजना डूंगरपुर के मानचित्र में संशोधन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया तथा निर्णय लिया गया कि L.N.C. की अभिशंषा अनुसार खातेदारों को भूखण्ड व क्षेत्रफल आवंटित किया जायेगा।
एजेण्डा नं 12	मण्डल की विकसित शास्त्री नगर, बांसवाडा योजना के पास अवाप्त भूमि के नियोजन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया तथा निर्णय लिया गया कि L.N.C. की अभिशंषा अनुसार खातेदारों को भूखण्ड व क्षेत्रफल आवंटित किया जायेगा।
एजेण्डा नं 13	वाटिका आवासीय योजना में पेयजल एवं सीवरेज व्यवस्था हेतु भूमि आरक्षित करने एवं मानचित्र में संशोधन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 14	बाडमेर जिले के ग्राम लंगेरा में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त भूमि का नियोजन करने बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 15	सेक्टर-11, इन्दिरा गांधी नगर योजना, जयपुर के मानचित्र में आंशिक संशोधन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।

31/12

एजेण्डा नं 16	Development of Streetscape Design at Pratap Avenue, हल्दीघाटी मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर के लिए बाह्य स्रोतन से वास्तुविदकीय सलाहकार द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुमोदन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 17	दक्षिण विस्तार योजना, उदयपुर के योजना मानचित्र में संशोधन एवं संशोधित स्थल पर LIG (G+3) 56 Flats के मानचित्र अनुमोदन एवं योजना में अनियोजित भूमि के नियोजन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 18	सेक्टर-17, प्रताप नगर योजना, सांगानेर, जयपुर के मानचित्र में संशोधन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

अनिल माथुर
(अनिल माथुर) 08/08/22
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
सदस्य-सचिव,

क्रमांक:- अति.मु.न.नि./रा.आ.म./जयपुर/2021-22/..... 540

दिनांक : 8-3-22

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ।

1. निजी सचिव-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. निजी सचिव-मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

अनिल माथुर
(अनिल माथुर) 08/08/22.
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक